संख्या-22/2022/I/161050/2022/002-71-4002(002)/1/2021

प्रेषक

आलोक कुमार ,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

कुलसचिव,
उ0 प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनाँक 29 अप्रैल, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-2023 के प्रथम चार माह के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष उ0 प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के वेतन एवं गैर वेतन मद की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-149/ई/यू0पी0यू0एम0एस0/यू0सी0(75)/2022-23, दिनांक 19.04.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, 105-एलोपैथी, 03-शिक्षा, 0331-रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज एण्ड रिसर्च, सैफई, इटावा में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना के मानक मद 31-सहायता अनुदान (वेतन) एवं 20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, 105-एलोपैथी, 03-शिक्षा, 0331-रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज एण्ड रिसर्च, सैफई, इटावा में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना के मानक मद 31-सहायता अनुदान (वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 1487.05 लाख (चौदह करोड सत्तासी लाख पॉच हजार मात्र) के सापेक्ष रू0 495.00 लाख (चार करोड़ पंचानवे लाख मात्र) एवं 20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 1200.00 लाख (बारह करोड़ मात्र) के सापेक्ष रू0 200.00 लाख (दो करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।
2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा।
4. धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
5. उपर्युक्तानुसार निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति के आवंटन/व्यय के संबंध में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.12.2021 एवं 29 मार्च, 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के सापेक्ष सुसंगत शर्तो/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थान/विश्वविद्यालय के प्रमुख एवं वित्त नियंत्रक का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050331 रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज एण्ड रिसर्च सैफई , इटावा में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) (2) रुपये 4,95,00,000 (रुपये चार करोड़ पंचानबे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050331 रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज एण्ड रिसर्च सैफई , इटावा में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना मानक मद 31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय ,उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय ,उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज
5. कोषाधिकारी, सैफई, इटावा।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, उ0 प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. नोडल अधिकारी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।